**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्या 278\***

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को दीर्घावधिक वीजा प्रदान किया जाना**

**\*278. श्री अब्दुल वहाबः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने अफगानिस्तान से आने वाले और भारत में शरण चाहने वाले अल्पसंख्यकों को दीर्घावधिक वीजा (एल॰टी॰वी॰) प्रदान करने का निर्णय लिया है; और**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)**

**(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।**

-2-

अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को दीर्घावधि वीजा प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 21.03.2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*278 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) की सुविधा प्रदान की है। पात्र पाए जाने पर, ऐसे व्यक्तियों को एक समय में पांच वर्षों की अवधि के लिए दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) प्रदान किया जा सकता है, जिसे आगे बढ़ाया किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*